

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02. त०शि०/योजना-12/2022

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट- हिनु, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर के लिए चाहरदिवारी के निर्माण हेतु प्रकलित राशि ₹0 61,73,000/- (₹0 एकसठ लाख तिहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर का पत्रांक 383 दिनांक 03.07.2023 के द्वारा विभाग को चाहरदिवारी क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गयी। संस्थान के सुरक्षा की दृष्टि से चाहरदिवारी जीर्णोद्धार किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राक्कलन प्राप्त किया गया है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1225 (नि०) दिनांक 06.06.2024 द्वारा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर के लिए चाहरदिवारी जीर्णोद्धार कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन Estimate No. 558/T.A/H.E./JSBCCL/2024-25, Page No. 247 दिनांक 30.05.2024 के साथ कुल प्राक्कलित राशि ₹0 61,73,000/- (₹0 एकसठ लाख तिहत्तर हजार) मात्र का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। विषयांकित कार्य की विवरणी निम्नवत् है -

क्र०	अवयव के नाम	स्वीकृत प्राक्कलित राशि
1	Boundary Wall 120'-0" & Concertina Wire Fencing Over All Wall & Painting -	26,54,794.00
2	Gateway	14,39,286.00
3	Electrical Works for Gateway	31,724.00
4	150/200 Dia, Deep Borewell with submersible Pump 2 Nos.	7,66,283.00
	Total Cost	48,92,087.00
5	Add 18% for GST on (A)	8,80,576.00
	Total	57,72,663.00
6	Add 1% for Labour Cess on	57,726.00
7	Agency Charges for JSBCCL @7%	3,42,446.00
	Grand Total	61,72,835.00
	Say	61,73,000.00
(₹0 एकसठ लाख तिहत्तर हजार)		

अतः उक्त के आलोक में राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर के लिए चाहरदिवारी आदि कार्य के लिए कुल ₹0 61,73,000/- (₹0 एकसठ लाख तिहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

(ख) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष -06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।
4. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेंगे। स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 90 दिन होगी।
5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
8. कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता आदि के संबंध में पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संस्थान प्रमुख के द्वारा की जायेगी एवं प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायगी।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 02. त०शि०/योजना-12/2022

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

/राँची, दिनांक:-

ज्ञापांक:- 02. त०शि०/योजना-12/2022

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

/राँची, दिनांक:- 09.07.2024

ज्ञापांक:- 02. त०शि०/योजना-12/2022/08/योजना

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

आइ